

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी०आर० 192/2023

सत्र 2023–2025 के लिये राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) के संबंध में
आवश्यक सूचना

राज्य के इण्टरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी/गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय/इण्टर महाविद्यालय/सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय एवं अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में सत्र 2023–2025 में इण्टरमीडिएट कक्षा में Online Facilitation System For Students (OFSS) प्रणाली से नामांकन हेतु समिति द्वारा दिनांक 27.06.2023 को प्रथम चयन सूची (First Selection List) जारी की गयी थी। प्रथम चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों का दिनांक 27.06.2023 से 10.07.2023 तक नामांकन लिया गया। प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 18.07.2023 को द्वितीय चयन सूची जारी की जा रही है।

2. नामांकन की अवधि में सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा सभी शिक्षकेत्तर कर्मियों को उपस्थित रहना अनिवार्य है, जो इन विद्यार्थियों के नामांकन संबंधित सभी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। चूंकि नामांकन कार्य में पर्याप्त संख्या में काउण्टरों की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं की जानी है, अतः यह आवश्यक है कि इंटर कक्षाओं में नामांकन हेतु संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित किया जाए।

3. OFSS के माध्यम से मान्यता प्राप्त उपर्युक्त श्रेणी के +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में द्वितीय चयन सूची का निर्माण निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर किया गया है :—

- (i) +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में 11वीं कक्षा में प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात रिक्त/उपलब्ध सीटों की संकायवार कुल संख्या
- (ii) विद्यार्थियों द्वारा OFSS Portal पर किये गये ऑनलाईन आवेदन (CAF) में भरे गये शिक्षण संस्थान/संकाय का विकल्प
- (iii) विद्यार्थियों के कक्षा 10वीं का प्राप्तांक प्रतिशत
- (iv) आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावी प्रावधान
- (v) वैसे संस्थानों में, जहाँ 12वीं की पढ़ाई के साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों ने यदि 12वीं की पढ़ाई हेतु विकल्पों में अपने मूल शिक्षण संस्थान (जहाँ से उन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है), का विकल्प दिया है, तो ऐसे मामलों में उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार के निर्णयानुसार अपने मूल संस्थान में नामांकन हेतु प्राथमिकता दी गई है, अर्थात् यदि उनको अपने मूल संस्थान से ऊपर का विकल्प नामांकन हेतु प्राथमिकता सूची में नहीं मिलता है, तो उनका चयन यथासंभव

अपने मूल विद्यालय में नामांकन हेतु किया जायेगा। यह प्रावधान उस संस्थान में संबंधित संकायवार सीटों की उपलब्ध संख्या, आवेदनकर्ता के प्राप्तांक प्रतिशत एवं आरक्षण कोटी के आधार पर ही मान्य होगा। उदाहरणस्वरूप अगर किसी विद्यार्थी ने अपने विद्यालय का विकल्प, जहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, को छट्टे स्थान पर दिया है और उनका चयन उनके मेधा एवं आरक्षण के आधार पर आठवें नम्बर के विकल्प में होता है, तो उस परिस्थिति में उन्हें छट्टे नम्बर के अपने मूल संस्थान में नामांकन के लिए चयनित किया जायेगा, परन्तु अगर ऐसे विद्यार्थी का चयन तीसरे विकल्प (जो छट्टे विकल्प से ऊपर है) के संस्थान हेतु होता है, तो उस स्थिति में उनका चयन तीसरे विकल्प में दिये गये संस्थान में नामांकन के लिए चयनित किया जायेगा। किन्तु किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के लिए यह प्रावधान उनकी अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या के अन्तर्गत ही अनुमान्य है। अर्थात् यदि किसी संस्थान में अधिकतम स्वीकृत सीट संख्या (आरक्षण श्रेणीवार) से अधिक उसी संस्थान के विद्यार्थियों के इण्टर में नामांकन के लिए आवेदन दिया है तो वैसे स्थिति में आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में ऊपर से सीमित संख्या (अधिकतम सीट क्षमता के अनुसार) का ही इस संस्थान में प्राथमिकता के आधार पर इस प्रथम सूची में नामांकन किया जाएगा – शेष विद्यार्थियों (जो आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची में नीचे हैं) को उनका वह संस्थान नहीं दिया गया है – बल्कि उनके मेधा क्रम एवं उनके द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर उनका संस्थान आवंटित किया गया है।

4. अतः सत्र 2023–2025 के लिये इण्टर/+2 कक्षा में नामांकन हेतु जो आवेदन पत्र जमा किया गया था, उसमें विद्यार्थियों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार नामांकन हेतु जिन +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों का विकल्प दिया गया था, उनमें से भरे गये प्राथमिकता के आधार पर तथा 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त कुल अंक प्रतिशत (%), आरक्षण कोटी एवं मूल संस्थान के संबंध में उपर्युक्त कंडिका-3 (v) के प्रावधान (यदि लागू हो तो) के आलोक में समिति द्वारा दिनांक 18.07.2023 को इण्टर में नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) जारी की गई है तथा उक्त सूची को संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालयों को उनके Login ID पर भेज दिया गया है। +2 विद्यालय/महाविद्यालयों के अलग-अलग संकायों का Cut Off Percentage (आरक्षण श्रेणीवार) भी समिति के Website पर दिनांक 18.07.2023 को जारी किया गया है, जिसे आवेदक www.ofssbihar.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही सभी आवेदकों को उनके Login ID में सूचना पत्र (Intimation Letter) भी निर्गत किया गया है, जिसे वे OFSS Portal पर अपना User ID एवं Password अंकित कर देख सकते हैं तथा Reference ID/Barcode No. एवं अपना मोबाइल नं० के साथ Download कर सकते हैं। इस हेतु सभी चयनित अभ्यर्थियों को SMS भी भेजा गया है। इण्टर/+2 में नामांकन हेतु द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) में चयनित विद्यार्थियों का निम्नानुसार +2 विद्यालय/महाविद्यालय आवंटित किया गया है :-

5. **वैसे आवेदकों के लिये, जिनका चयन प्रथम चयन सूची (First Selection List) में हुआ था और स्लाईड-अप के बाद द्वितीय चयन सूची में हुआ है:-**

(i) ऐसे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि चूँकि आपके द्वारा Slide Up के लिये किये गये अनुरोध के आधार पर आपको दूसरी चयन सूची (Second Selection List) में

कॉलेज/संकाय आवंटित किया गया है अतः पूर्व के कॉलेज में आपके द्वारा लिए गये नामांकन (Admission) को रद्द (Cancel) कर दिया गया है तथा आपकी सीट को दूसरे विद्यार्थी को आवंटित कर दिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने सूचना पत्र (Intimation Letter) में अंकित विद्यालय/महाविद्यालय में अपना नामांकन दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच अवश्य करा लें। अगर आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं लिया जाता है तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा। यदि आप द्वितीय चयन सूची में नव आवंटित संस्थान से संतुष्ट नहीं है और आप अपने द्वारा दिये गये उच्चतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में नामांकन कराना चाहते हैं तो दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच बेहतर वरीयता वाले विद्यालय/महाविद्यालय में नामांकन हेतु ऑनलाईन रूप से वेबसाईट www.ofssbihar.in पर लॉगिन करके कम्प्यूटर पर पुनः Slide Up Option का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात् द्वितीय चयन सूची के अनुसार आवंटित शिक्षण संस्थान से बेहतर संस्थान/संकाय में नामांकन हेतु आवेदनकर्ताओं को पुनः स्लाईड-अप का विकल्प भरना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता वेबसाईट के अलावा Google Play Store से BSEBOFSS एप्प (APP) के माध्यम से Slide Up विकल्प भर सकते हैं ताकि आपको तीसरी चयन सूची में बेहतर संस्थान/संकाय/विषय आवंटित करने हेतु विचार किया जा सके किन्तु यह Slide Up विकल्प तभी मान्य (Valid) माना जायेगा, जब आपने दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच सूचना पत्र में अंकित संस्थान/संकाय में नामांकन (Admission) लिया हो। दूसरे शब्दों में, यदि आप सूचना पत्र में अंकित संस्थान/संकाय में निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराते हैं, तो आपके द्वारा Slide Up विकल्प भरने पर भी उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी तथा आपका आवेदन एवं अभ्यर्थित्व (Candidature) रद्द कर दिया जायेगा।

- (ii) विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि पुनः Slide Up विकल्प भरने के लिये समिति के वेबसाईट www.ofssbihar.in के अलावा मोबाईल से भी Slide Up विकल्प भरा जा सकता है। इसके लिये जो आवेदक मोबाईल एप्प के माध्यम से Slide Up विकल्प भरना चाहते हैं, तो उनको Google Play Store से BSEBOFSS नामक APP डाउनलोड करना होगा। इस एप्प (BSEBOFSS) को डाउनलोड करने के पश्चात् आवेदक को अपने मोबाईल में इस एप्प में User ID एवं Password से Login करना होगा तथा उसके बाद Slide Up विकल्प भरने की सहमति देनी होगी। उसके पश्चात् आवेदक को मोबाईल पर SMS के माध्यम से OTP (One Time Password) प्राप्त होगा। इस OTP (One Time Password) को इस एप्प में भरने के पश्चात् आवेदक को Confirmation Code SMS के माध्यम से प्राप्त होगा। Confirmation Code प्राप्त नहीं होने के स्थिति में Slide Up विकल्प भरा हुआ नहीं माना जायेगा। यदि आवेदक को Confirmation Code प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें यह प्रक्रिया दोबारा करनी होगी। Confirmation Code प्राप्त होने के पश्चात् ही यह माना जायेगा कि आवेदक का Slide Up विकल्प भरा जा चुका है। आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वो यह Confirmation Code कागज पर लिखकर भविष्य के लिये सुरक्षित रख लें।

(iii) **स्लाइड अप (Slide Up) प्रक्रिया** :- द्वितीय चयन सूची में चयनित विद्यार्थी दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 तक अपने द्वारा भरे गये उच्चतर विकल्प (Higher Preference) हेतु अपना विकल्प भर सकते हैं, जिससे कि तृतीय चयन सूची तैयार करने के समय आपके नाम पर विचार किया जा सके। ऐसे विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक है कि निर्धारित तिथि दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच में वे अपना नामांकन सूचना पत्र में आवंटित संस्थान/संकाय में अवश्य करा लें। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर तृतीय चयन सूची में कोई विचार नहीं किया जायेगा अर्थात् उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा और उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। विद्यार्थी Slide Up विकल्प में न तो कोई नया संस्थान/संकाय बदल सकते हैं और न ही कोई नया संस्थान/संकाय जोड़ सकते हैं।

(iv) द्वितीय चयन सूची के पश्चात् तृतीय चयन सूची (Third Selection List) प्रकाशित की जायेगी।

(v) इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप OFSS Portal पर उपलब्ध सभी संस्थानों के सभी संकायों का द्वितीय कट ऑफ लिस्ट (Second Cut Off List) देख सकते हैं।

(vi) आपसे अनुरोध है कि आप अपने आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच अवश्य नामांकन करा लें, जिससे कि आप नामांकन के पश्चात् तृतीय चयन सूची के लिये दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच OFSS Portal पर Slide Up हेतु कार्रवाई कर सकें।

6. **वैसे आवेदकों के लिये, जिनका चयन प्रथम चयन सूची (First Selection List) में नहीं हुआ था और द्वितीय चयन सूची में हुआ है :-**

(i) कतिपय विद्यार्थियों का नामांकन प्रथम चयन सूची (First Selection List) में चयन नहीं हो सका क्योंकि उन्होंने नामांकन के लिये जो विकल्प (+2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय) भरा था, उनमें से उनके अंक प्रतिशत एवं आरक्षण श्रेणी के आधार पर उनका चयन उनके द्वारा दिये गये किसी भी विकल्प (Choice) में नहीं हुआ और अब द्वितीय चयन सूची में हुआ है। ऐसे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवंटित संस्थान में आप अपना नामांकन दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच अवश्य करा लें। अगर आपके द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराया जाता है तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा। यदि आप इस महाविद्यालय/संकाय से संतुष्ट नहीं है, तो दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच बेहतर संस्थान/संकाय में नामांकन हेतु ऑनलाइन रूप से वेबसाइट www.ofssbihar.in पर लॉगिन करके Slide Up Option का उपयोग कर सकते हैं या Google Play Store से BSEBOFSS नामक एप्प (APP) डाउनलोड करके मोबाइल पर उस APP में Slide Up विकल्प भर सकते हैं ताकि आपको तीसरी चयन सूची में बेहतर संस्थान/संकाय/विषय आवंटित करने हेतु विचार किया जा सके किन्तु यह Slide Up विकल्प तभी मान्य (Valid) माना जायेगा, जब आपने दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच आवंटित कॉलेज/संकाय में नामांकन

(Admission) करा लिया है। यदि आप आवंटित कॉलेज/संकाय में निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराते हैं, तो आपके द्वारा Slide Up विकल्प भरने पर उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी तथा आपका आवेदन एवं अभ्यर्थित्व (Candidature) रद्द कर दिया जायेगा।

- (ii) विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि Slide Up विकल्प भरने के लिये वेबसाइट www.ofssbihar.in के अलावा मोबाईल से भी Slide Up विकल्प भरा जा सकता है। इसके लिये जो आवेदक मोबाईल एप्प के माध्यम से Slide Up विकल्प भरना चाहते हैं, तो उनको Google Play Store से BSEBOFSS नामक APP डाउनलोड करना होगा। इस एप्प (BSEBOFSS) को डाउनलोड करने के पश्चात् आवेदक को अपने मोबाईल में इस एप्प में User ID एवं Password से Login करना होगा तथा उसके बाद Slide Up विकल्प करने की सहमति देनी होगी। उसके पश्चात् आवेदक को मोबाईल पर SMS के माध्यम से OTP (One Time Password) प्राप्त होगा। इस OTP (One Time Password) को इस एप्प में भरने के पश्चात् आवेदक को Confirmation Code SMS के माध्यम से प्राप्त होगा। Confirmation Code प्राप्त नहीं होने के स्थिति में Slide Up विकल्प भरा हुआ नहीं माना जायेगा। यदि आवेदक को Confirmation Code प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें यह प्रक्रिया दोबारा करनी होगी। Confirmation Code प्राप्त होने के पश्चात् ही यह माना जायेगा कि आवेदक का Slide UP विकल्प भरा जा चुका है। आवेदकों को यह सलाह दी जाती है कि वो यह Confirmation Code कागज पर लिखकर भविष्य के लिये सुरक्षित रख लें।
- (iii) **स्लाइड अप (Slide UP) प्रक्रिया** :- द्वितीय चयन सूची में चयनित विद्यार्थी दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 तक अपने द्वारा भरे गये उच्चतर विकल्प (Higher Preference) हेतु अपना विकल्प भर सकते हैं, जिससे कि तृतीय चयन सूची तैयार करने के समय आपके नाम पर विचार किया जा सके। ऐसे विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक है कि निर्धारित तिथि दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच में वे अपना नामांकन आवंटित संस्थान/संकाय में अवश्य करा लें। नामांकन नहीं कराने की स्थिति में उनके नाम पर तृतीय चयन सूची में कोई विचार नहीं किया जायेगा अर्थात् उनका नाम सूची से हटा दिया जायेगा और उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। विद्यार्थी Slide Up विकल्प में न तो कोई नया संस्थान/संकाय बदल सकते हैं और न ही कोई नया संस्थान/संकाय जोड़ सकते हैं।
- (iv) द्वितीय प्रक्रम के पश्चात् तृतीय चयन सूची (Third Selection List) प्रकाशित की जायेगी।
- (v) इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप OFSS Portal पर उपलब्ध सभी संस्थानों के सभी संकायों का द्वितीय कट ऑफ लिस्ट (Second Cut Off List) देख सकते हैं।
- (vi) आपसे अनुरोध है कि आप अपने आवंटित महाविद्यालय/संकाय में दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच अवश्य नामांकन करा लें, जिससे कि आप नामांकन के पश्चात् तृतीय चयन सूची के लिये दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच OFSS Portal पर Slide Up हेतु कार्रवाई कर सकें।

7. **वैसे विद्यार्थी, जिनका चयन द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) में नहीं हुआ है, के लिये आवश्यक सूचना :-**

- (i) द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) में कुछ विद्यार्थियों का चयन नहीं हो सका है क्योंकि उन्होंने नामांकन के लिये जो भी विकल्प (+2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय) भरा था, उनमें से उनके अंक प्रतिशत एवं आरक्षण श्रेणी के आधार पर उनका चयन उनके द्वारा दिये गये किसी भी विकल्प (Choice) में संभव नहीं हुआ है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु विद्यार्थियों द्वारा OFSS Portal पर उपलब्ध सभी संकायों के सभी विषयों का द्वितीय कट ऑफ लिस्ट (Second Cut Off List) देखा जा सकता है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि जिन-जिन +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों/संकायों का विकल्प (Choice) आपने भरा था, उन सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकायों का कट ऑफ अंक आपके अंक से ज्यादा है।
- (ii) अतः जिस किसी विद्यार्थी का चयन द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) में नहीं हुआ है, अतः उनसे अनुरोध है कि वे दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच अपने User ID एवं Password के माध्यम से OFSS Portal में Login कर नया विकल्प अर्थात् +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय भरें, ताकि उनको तीसरी चयन सूची में उनके अंक एवं आरक्षण श्रेणी के आधार पर +2 विद्यालय/महाविद्यालय आवंटित किया जा सके। ऐसे विद्यार्थियों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि वो नया विकल्प (Choice) के रूप में किसी +2 विद्यालय/महाविद्यालय/संकाय को चुनने/भरने के पहले समिति के वेबसाइट www.ofssbihar.in को खोल कर विभिन्न +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के अलग-अलग विषयों का द्वितीय कट ऑफ सूची (Second Cut Off List) अवश्य देख लें, ताकि आपको इस बात की जानकारी मिल जाये कि आपके अंक एवं आरक्षण के आधार पर आपको तृतीय चयन सूची में किन +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों/संकायों में Admission मिल सकता है।
- (iii) अतः ऐसे विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 के बीच अपने User ID एवं Password के माध्यम से न्यूनतम 10 (दस) तथा अधिकतम 20 (बीस) विकल्प भरें, ताकि उनके अंक एवं आरक्षण श्रेणी के अनुसार उनके विकल्प (Choice) के आलोक में जारी होने वाली तृतीय चयन सूची में उनके नाम पर विचार किया जा सके।

8. नामांकन करने के लिये आवेदन करते समय विद्यार्थियों से कुल 350/- रुपये आवेदन शुल्क लेने का प्रावधान था, जिसमें 150/- रुपये आवेदन शुल्क एवं 200/- रुपये कॉलेज शुल्क निहित था। अतः सभी संस्थानों को सूचित किया जाता है कि नामांकन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात् कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन उनके संस्थानों में होगा उन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुसार 200/- रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से कुल राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से समिति उन संस्थानों को भेज देगी। अतः कोई भी संस्थान यदि आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाईन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो संबंधित विद्यार्थी से कोई आवेदन शुल्क (Application Fee) नहीं लेंगे सिर्फ नामांकन शुल्क (Admission Fee) एवं नियमानुसार अन्य शुल्क (Other Applicable Fee) ही लेंगे।

9. उल्लेखनीय है कि प्रथम नामांकन के पश्चात् कई विद्यार्थियों को द्वितीय चयन सूची में बेहतर विकल्प प्राप्त हुआ हो, जहाँ उन्हें पुनः नामांकन कराना होगा। इसके पश्चात् हो सकता है कि तृतीय एवं अंतिम सूची में भी विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प प्राप्त हों, जिसमें उनके द्वारा बेहतर विकल्प के संस्थानों में नामांकन कराया जाना संभावित है। ऐसी परिस्थिति में एक ही विद्यार्थी को एक बार से अधिक बार नामांकन कराने में बार-बार नामांकन शुल्क जमा करने में व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है। अतः इस आलोक में OFSS के अन्तर्गत नामांकन शुल्क जमा करने के संबंध में निम्नांकित प्रावधान किया गया है :-

- (i) OFSS के अन्तर्गत किसी भी विद्यार्थी का प्रथम बार नामांकन के समय संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाये।
- (ii) तत्पश्चात् यदि किसी विद्यार्थी का प्रथम चयन सूची अथवा आगामी द्वितीय चयन सूची अथवा तृतीय चयन सूची के आधार पर बेहतर विकल्प (Higher Preference) के संस्थान में चयन होता है, तो ऐसे संस्थानों में विद्यार्थी द्वारा पुनः नामांकन कराने के समय संस्थान द्वारा ऐसे विद्यार्थियों से कोई भी नामांकन शुल्क नहीं लिया जाये।
- (iii) सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् (अर्थात् प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची तथा तृतीय चयन सूची के उपरान्त नामांकन के पश्चात्) जो विद्यार्थी अंतिम रूप से जहाँ नामांकित रहेंगे, उस संस्थान के प्रधान द्वारा नामांकन से संबंधित शुल्क की राशि की निम्नरूपेण समीक्षा की जायेगी :-

(क) अगर नामांकन प्रथम नामांकन है, तो संस्थान द्वारा नियमानुसार पूरी नामांकन राशि प्राप्त कर ली गयी है।

(ख) अगर यह नामांकन द्वितीय अथवा तृतीय है, तो यह देखा जाना होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के संस्थान में नामांकन के समय कितनी राशि जमा की गयी है। अगर यह राशि अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि विद्यार्थी को पूर्व के नामांकित संस्थान द्वारा एक माह के अंदर वापस लौटा दी जाये और अगर पूर्व के संस्थान द्वारा लिया गया नामांकन शुल्क अंतिम रूप से नामांकित संस्थान के नामांकन शुल्क से कम है, तो उतनी अतिरिक्त राशि विद्यार्थी से अंतिम नामांकित संस्थान द्वारा प्राप्त कर लिया जाये। साथ ही विद्यार्थी के पूर्व नामांकित संस्थान द्वारा एक माह के अंदर उस विद्यार्थी से प्राप्त किये गये नामांकन शुल्क को उस विद्यार्थी के अंतिम नामांकित संस्थान को वापस कर दी जाये।

10. नामांकन हेतु छात्रों/छात्राओं के लिये आवश्यक निदेश :-

Computer से अपना नामांकन पत्र की प्रति प्राप्त करने के लिये अपना Common Application Form की प्रति एवं अपना मोबाईल संख्या जो उन्होंने Common Application Form भरने के समय उपयोग किया है, अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

- सर्वप्रथम आवेदक किसी भी वेब ब्राउजर के माध्यम से OFSS के वेब पोर्टल www.ofssbihar.in पर जायेंगे।

- उसके पश्चात् आवेदक होम पेज पर दिये गये लिंक "इण्टरमीडिएट कक्षा में अपने चयन एवं नामांकन से संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय एवं संकाय" की जानकारी प्राप्त करने हेतु दिये गये लिंक पर क्लिक करेंगे।
- क्लिक करने के पश्चात् एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आवेदक को अपना Application Reference No./Barcode No. एवं जिस मोबाईल नम्बर के माध्यम से उन्होंने Common Application Form भरा है, उसे सही-सही भरेंगे।
- आगे बढ़ने के पहले आवेदक अपने द्वारा भरी गयी सभी सूचना पुनः जाँच लेंगे कि सूचनाएँ सही भरी गयी है।
- वांछित सूचना डालने के पश्चात् आवेदक चयनित संबंधित महाविद्यालय, संकाय एवं विषय देख पायेंगे।
- उसके पश्चात् आवेदक Download Intimation Letter लिंक पर क्लिक करके अपना नामांकन पत्र (Intimation Letter) डाउनलोड कर लेंगे।
- डाउनलोड एवं प्रिंट किये गये पत्र, Common Application Form का प्रिंट आउट सभी अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, सभी दो-दो फोटो प्रतियाँ एवं अपना 06 प्रति फोटो लेकर संबंधित प्राचार्य से सम्पर्क कर अपना नामांकन करायेंगे।

11. **संस्थानों के प्राचार्यों के लिये आवश्यक निदेश :-**

- (i) जिस महाविद्यालय में विद्यार्थी नामांकन के लिये उपस्थित हुआ है उस संस्थान के Admission Incharge को पोर्टल portal.ofssbihar.in पर Login करके यह सुनिश्चित करना होगा कि उस विद्यार्थी का नामांकन पोर्टल के माध्यम से पोर्टल पर Update हो गया है। इसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी :-
 - किसी भी वेब ब्राउजर से www.ofssbihar.in वेबसाईट खोलें।
 - खोलने के पश्चात् "Portal Login" लिंक पर क्लिक करें।
 - "Portal Login" लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें महाविद्यालय का User ID एवं Password भरना होगा। भरने के पश्चात् Login बटन पर क्लिक करना होगा।
 - यदि संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय का User ID एवं Password नहीं मिला है तो वे अपने जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क करके User ID एवं Password ले सकते हैं।
 - Login करने के पश्चात् संबंधित प्राचार्य को अपने डैशबोर्ड में बाईं तरफ "Admission" लिंक दिखाई देगा। वे "Admission" लिंक पर क्लिक करें।
 - "Admission" लिंक पर क्लिक करने के पश्चात् "Admission Update" पर क्लिक करें एवं Drop Down में से संबंधित संकाय एवं विषय चुन लें।

- उसके पश्चात् संबंधित आवेदक का Reference No. चुनकर उसके सामने वाले चेक बॉक्स में क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात् "Click to Save" बटन पर क्लिक करें।
 - "Click to Save" बटन पर क्लिक करने के पश्चात् OK बटन पर क्लिक करें।
 - OK बटन पर क्लिक करने के पश्चात् संबंधित आवेदक का नामांकन OFSS Portal में दर्ज हो जायेगा और इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जायेगा कि उस आवेदक का नामांकन उस महाविद्यालय में हो गया है।
 - उपर्युक्त प्रक्रियाओं को अपनाना संस्थानों के लिये अति आवश्यक है, क्योंकि OFSS पोर्टल में आवेदक का नाम दर्ज हो जाने पर ही वह सीट भरा हुआ माना जायेगा, ताकि तीसरी चयन सूची जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा जारी होगी तो संबंधित महाविद्यालय के रिक्त सीट के लिये ही चयन सूची जारी हो सके।
- (ii) द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) के आधार पर चयनित विद्यार्थियों का नामांकन दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 तक संस्थानों द्वारा किया जायेगा। अतः संबंधित संस्थान के प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS पोर्टल के कॉलेज Login में दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 तक निश्चित रूप से प्रतिदिन अपलोड करते रहें। दिनांक 18.07.2023 को नामांकित विद्यार्थी का Updation दिनांक 19.07.2023 तक, दिनांक 19.07.2023 को नामांकित विद्यार्थी का Updation दिनांक 20.07.2023 तक, दिनांक 20.07.2023 को नामांकित विद्यार्थी का Updation दिनांक 21.07.2023 तक, दिनांक 21.07.2023 को नामांकित विद्यार्थी का Updation दिनांक 22.07.2023 तक, दिनांक 22.07.2023 को नामांकित विद्यार्थी का Updation दिनांक 23.07.2023 तक, दिनांक 23.07.2023 को नामांकित विद्यार्थी का Updation दिनांक 24.07.2023 एवं दिनांक 24.07.2023 को नामांकित विद्यार्थी का Updation दिनांक 25.07.2023 तक करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे करना अनिवार्य इसलिए है ताकि संबंधित विद्यार्थी, जिसका नामांकन विद्यालय/महाविद्यालय ने ले लिया है, उसकी सीट OFSS पोर्टल में भरी हुयी मानी जाये एवं द्वितीय चयन सूची (Second Selection List) के नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद संस्थानों में रिक्त सीटों की सूची OFSS पोर्टल के माध्यम से पता चल सके। इन्हीं रिक्त सीटों के आधार पर तृतीय चयन सूची का प्रकाशन होगा। यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए संबंधित संस्थान इस कार्य का विशेष ध्यान रखेंगे। अतः ऐसे सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधान को निदेश दिया जाता है कि वे अपने संस्थान में नामांकित विद्यार्थियों की सूची को हर-हाल में दिनांक 25.07.2023 तक OFSS पोर्टल पर ऑनलाईन रूप से Update करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा भविष्य में सीटों को रिक्त करने से जिन विद्यार्थियों को कठिनाई होगी, उसके लिये संबंधित संस्थान के प्राचार्य ही उत्तरदायी माने जायेंगे।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

- (i) द्वितीय चयन सूची जारी होने की तिथि— 18.07.2023
 - (ii) द्वितीय चयन सूची के अनुसार नामांकन की तिथि दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 तक
 - (iii) संस्थान द्वारा OFSS पोर्टल www.ofssbihar.in में Login कर सीट अद्यतन (Update) किये जाने की अधिकतम तिथि दिनांक 25.07.2023 तक
 - (iv) विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के पश्चात् Slide Up की प्रक्रिया के लिये ऑनलाईन आवेदन की तिथि दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 तक
 - (v) जिस विद्यार्थी का चयन द्वितीय चयन सूची में किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय में नहीं होता है, उसके लिये नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की विस्तारित अवधि :- दिनांक 18.07.2023 से 24.07.2023 तक
 - (vi) तृतीय सूची के प्रकाशन की सूचना बाद में दी जायेगी।
12. इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.ofssbihar.in पर प्राप्त की जा सकती है।
13. अगर उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो हेल्पलाईन दूरभाष संख्या 0612-2230009 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

Sd/-
संयुक्त सचिव (OFSS)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना